संख्या-169/2020/4152/71-1-2020-जी-202/2016टी0सी0-3

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 16 दिसम्बर, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में स्थापित उपकरणों की मरम्मत, ए0एम0सी0 तथा सी0एम0सी0/स्पेयर्स पार्ट्स एवं कन्ज्यूमेबिल हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/1699, दिनॉक 11-11-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु "अनुरक्षण" मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 2250.00 लाख में से राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में स्थापित उपकरणों की मरम्मत, ए0एम0सी0 तथा सी0एम0सी0/स्पेयर्स पार्ट्स एवं कन्ज्यूमेबिल हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 1,40,83,654/- (रू0 एक करोड़ चालीस लाख तिरासी हजार छः सौ चौव्वन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैः-

क्र0	विभाग का नाम	अनुमोदित धनराशि
1.	एनेस्थीसिया विभाग	4687452.00
2.	रेडियोडायग्नोसिस विभाग	2540669.00
3.	आब्स एण्ड गायनिक विभाग	889612.00
4.	सर्जरी विभाग	4389459.00
5.	रेडियोथेरेपी विभाग	1576461.00
	योग-	14083654.00

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों, स्टोर परचेज रूल्स एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा धनराशि के सद्व्यय हेतु संबंधित प्रधानाचार्य पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तथा नियमानुसार औचारिकताएं पूर्ण कराकर कार्य कराया जाये। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

5- ए0एम0सी0 एवं सी0एम0सी0 का कान्ट्रेक्ट सुसंगत नियमों/शासनादेशों एवं पारदर्शी प्रक्रिया के अन्तर्गत निमयानुसार पात्र फर्म से कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उपकरणों के निरन्तर क्रियाशील रहने एवं संबंधित बजट का समय के साथ आडिट कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।

6- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0376-राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सीय सेवाओं का संचालन-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:-169/2020/4152(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।